भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2512

उत्तर देने की तारीख- 18/12/2023

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह योजना

†2512. श्री सुदर्शन भगत:

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल:
डॉ. सत्यपाल सिंह:
श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:
श्री सत्यदेव पचौरी:
श्री रमेश बिधूड़ी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. ढालसिंह बिसेन:
डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव:
श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री मोहनभाई कुंडारिया:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009 से जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजटीय आवंटन में की गई वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारत में 75 मान्यताप्राप्त पीवीटीजी समूहों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए कोई अन्य कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय युवाओं के कौशल के अंतर को पाटने और उनके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम और वित्तीय परिव्यय क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान जनजातीय विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के प्रमुख मील के पत्थर और उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): वित्तीय वर्ष 2009-10 से जनजातीय कार्य मंत्रालय के संबंध में बजटीय आवंटन का ब्यौरा नीचे सारणीबद्ध है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**बजट आवंटन**			**संशोधित आवंटन**		
	योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
2009-10	3205.66	14.45	**3220.11**	2000.16	16.01	**2016.17**
2010-11	3206.66	13.71	**3220.37**	3205.86	15.55	**3221.41**
2011-12	3723.17	16.84	**3740.01**	3723.01	17.00	**3740.01**
2012-13	4090.00	18.00	**4108.00**	3100.00	15.55	**3115.55**
2013-14	4279.14	16.80	**4295.94**	3879.05	17.00	**3896.05**
2014-15	4479.19	18.77	**4497.96**	3850.01	21.87	**3871.88**
2015-16	4792.38	26.83	**4819.21**	4550.01	23.79	**4573.80**
2016-17	4800.14	26.36	**4826.50**	4798.64	27.86	**4826.50**
2017-18	5300.14	29.18	**5329.32**	5293.30	36.02	**5329.32**
2018-19	5957.18	42.82	**6000.00**	5957.50	42.50	**6000.00**
2019-20	6847.89	47.07	**6894.96**	7293.66	46.50	**7340.16**
2020-21	7355.76	55.24	**7411.00**	5472.50	35.50	**5508.00**
2021-22	7484.07	40.80	**7524.87**	6126.46	54.84	**6181.30**
2022-23	8406.92	45.00	**8451.92**	7246.30	54.70	**7301.00**
2023-24	12386.00	75.88	**12461.88**	अंतिम रूप दिया जा रहा है		

(ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय लोगों के बीच इन सबसे कमजोर (वंचित) वर्गों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण के उद्देश्य से **"पीवीटीजी के विकास"** की योजना क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ग): सरकार ने हाल ही में **प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)** शुरू किया है जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय 6वीं से 12वीं कक्षा तक अजजा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)" भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। प्रत्येक ईएमआरएस में 5% सीटें पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना में, 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के तहत, 20 स्लॉट में से 3 स्लॉट पीवीटीजी अभ्यर्थियों (उम्मीदवार) के लिए आरक्षित हैं।

(घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों (परंतुक) के अंतर्गत अनुदान के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भारत सरकार से 100% अनुदान है। इस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण राज्य को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाता है जिसमें (i) शिक्षा (ii) स्वास्थ्य (iii) कृषि, बागवानी, पशुपालन (एएच), मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य प्राथमिक क्षेत्र (iv) जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजन योजनाएं और (v) प्रशासनिक संरचना / संस्थागत ढांचा और अनुसंधान अध्ययन जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। पिछले 03 वर्षों के दौरान अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों (परंतुक) के अंतर्गत अनुदान के तहत कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित/निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	गतिविधियों की संख्या	2020-21 हेतु अनुमोदित निधियां	गतिविधियों की संख्या	2021-22 हेतु अनुमोदित निधियां	गतिविधियों की संख्या	2022-23 हेतु अनुमोदित निधियां
1.	गुजरात	0	0.00	03	1504.64	01	1360.00
2.	महाराष्ट्र	02	400.00	0	0.00	0	0.00
3.	मणिपुर	02	348.17	01	150.00	0	0.00
4.	मिजोरम	05	150.00	05	150.00	0	0.00
5.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	02	110.00
कुल		**09**	**898.17**	**09**	**1804.64**	**03**	**1470.00**

मंत्रालय 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' (पीएमजेवीएम) योजना क्रियान्वित (लागू) कर रहा है, जो जनजातीय उद्यमिता पहलों को सुदृढ़ करने और वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) के माध्यम से आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना करता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज की खरीद के लिए राज्यों को निधियां भी प्रदान करता है। कच्चे माल, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, टूल किटों और मशीनरी (उपकरण) पर व्यय के लिए प्रत्येक वीडीवीके को वर्तमान में 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

(ङ) तथा (च): सरकार ने 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए गांवों के एकीकृत विकास हेतु 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' की योजना बनाई है। योजना के तहत, अधिसूचित अजजा (एसटी) वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अजजा (एसटी) वाले 36,428 गांवों की पहचान विकास के 8 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतः गांव/ब्लॉक), दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतर को पाटने के लिए और परिपूर्णता लाने में मंत्रालयों के बीच अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रम/गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान कवर किए गए गांवों और निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	गांवों की संख्या	2021-22	2022-23
		गांवों की कुल संख्या	कुल निर्मुक्ति	निर्मुक्त निधिया
1	आंध्र प्रदेश	517	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	141	733.68	0.00
3	असम	1700	8743.02	11538.22
4	बिहार	184	774.44	0.00
5	छत्तीसगढ़	4029	15595.8	23021.82
6	दादर व नगर हवेली एवं दमन व दीव	55	0.00	173.23
7	गोवा	21	0.00	0.00
8	गुजरात	3764	15916.78	19401.76
9	हिमाचल प्रदेश	90	377.03	288.09
10	जम्मू और कश्मीर	302	0.00	932.39
11	लद्दाख	132	0.00	470.925
12	झारखंड	3891	6531.79	6915.28
13	कर्नाटक	507	2139.9	937.48
14	केरल	6	0.00	0.00
15	मध्य प्रदेश	7307	12268.76	27694.54
16	महाराष्ट्र	3605	0.00	13485.495
17	मणिपुर	254	427.98	295.47
18	मेघालय	836	0.00	3342.30
19	मिजोरम	344	580.83	1818.605
20	नागालैंड	530	886.53	2233.97
21	ओडिशा	1653	2771.68	1001.24
22	राजस्थान	4302	7224.71	15269.66
23	सिक्किम	62	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	167	285.32	285.62
25	तेलंगाना	533	2262.18	1681.035
26	त्रिपुरा	375	631.78	904.48
27	उत्तराखंड	64	0.00	0.00
28	उत्तर प्रदेश	183	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	874	0.00	3495.20
	कुल	**36428**	**78152.21**	**135186.81**

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों (कक्षा 6वीं से 12वीं) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997-98 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ताकि उन्हें शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंचने और उन्हें सामान्य आबादी के बराबर लाने में सक्षम बनाया जा सके। ईएमआरएस के महत्व को समझते हुए, 2018-19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने घोषणा की कि 50% या अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होना चाहिए। तद्नुसार, देश भर में 740 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे 3.5 लाख से अधिक अजजा बच्चों को लाभ होने की संभावना है। योजना को संचालित करने हेतु जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी (एनईएसटीएस), एक स्वायत्त सोसायटी की स्थापना की गई है। आज तक, मंत्रालय द्वारा 694 विद्यालयों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 401 के कार्यात्मक होने की सूचना है, जिससे लगभग 1,18,982 अजजा बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

*****